# कामकाजी महिला

वर्ष 6 अंक 4 अप्रैल, 1994 मूल्य : 2 रु०

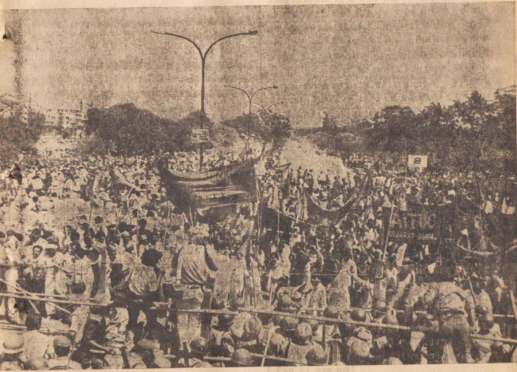

कोई अवरोध जनता को रोक नहीं सकता ! 5 अप्रैल को डंकल एवं गाट करारों के विरोध में दिल्ली आए लोगों की विराट सभा का एक दृश्य !

# 5 अप्रैल की प्रदर्शनकारी महिलाओं एवं पुरुषों का क्रांतिकारी अभिनंदन

5 अप्रैल की विराट जनसभा जिसमें अढ़ाई लाख से अधिक लोगों ने सोल्लासपूर्ण ढंग से भाग लिया, प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। हजारों महिलाएं एवं पुरुष जिन्होंने अपने नन्हें बच्चों को उठा रखा था, सिरों पर सामान रखा हुआ था, तीन अप्रैल से ही पंक्तिबद्ध होकर लालकिले के पीछे बनाए गए अपने शिविरों की ओर बढ़ रहे थे। उनके काफिले सभी दिशाओं से आ रहे थे। सर्वाधिक उल्लेखनीय बात तो यह है कि इस बार किसानों तथा खेत-खलिहानों में काम करने वाले मजदूरों की भारी संख्या भी जनसभा में शामिल हुई थी। 4 अप्रैल तक पूरे का पूरा शिविर दूर-दराज के क्षेत्रों से आए लोगों से खचाखच भर गया था। वहां तिल धरने के लिए भी जगह शेष नहीं रही थी। यही कारण है कि जो लोग 5 अप्रैल की भोर के समय वहां पहुंचे, उन्हें संभालने में शिविर स्वयं को असमर्थ पा रहा था। यही नहीं मजदूरों, किसानों तथा अन्यों को तो 4 अप्रैल की रात्रि मूसलाधार वर्षा में भीगकर काटनी पड़ी और दुर्भाग्यवश बिजली तथा पानी का अभाव भी उन्हें झेलना पड़ा। इस पर भी वे दिल्ली आने के अपने अधिकार का प्रयोग करने तथा संसद की ओर कूच करके गैट एवं डंकल प्रस्तावों के प्रति अपना विरोध दर्ज कराने के अपने दृढ़संकल्प पर अडिग रहे व वीरोचित संघर्ष करने की उनकी भावना और प्रबल हुई थी। इससे पूर्व कभी भी इतनी भारी संख्या में महिलाओं एवं बच्चों ने ऐसी किसी जनसभा या कूच में भाग नहीं लिया था। वे हजारों की संख्या में बिहार से आए थे महाराष्ट्र तथा उ.प्र. से, राजस्थान तथा म.प्र. से आए थे। प्रातः 10 बजे लाल झंडों का समुद्र उन अवरोधकों की ओर उमड़ पड़ा जो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने खड़े किये थे। मजदूरों, किसानों, महिलाओं तथा छात्रों ने अपने-अपने

[शेष पृष्ठ 16 पर]

## इस अंक में


| | |
|---|---|
| 5 अप्रैल की प्रदर्शनकारी महिलाओं एवं पुरुषों का क्रांतिकारी अभिनंदन | 2 |
| कामकाजी महिला आयोग में बहस की रिपोर्ट | 3 |
| जन संगठनों का राष्ट्रीय मंच | 5 |
| कामकाजी महिलाओं सम्बन्धी आयोग की रिपोर्ट | 6 |
| आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संयुक्त संघर्ष समिति | 9 |
| प्रसुति लाभ अधिनियम में संशोधन रद्द करो | 10 |
| कामकाजी महिलाओं के चतुर्थ सम्मेलन का महत्व | 11 |
| दिल्ली में राजघाट तथा अन्य स्थानों पर पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों का नृशंस दमन | 13 |
| चीनी ट्रेड यूनियन नेत्री द्वारा सी आई टी यू के आठवें महाधिवेशन को महिला प्रतिनिधियों एवं स्वयं सेविकाओं का अभिनंदन | 14 |
| पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस | 15 |


सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति के लिए विमल रणदिवे की ओर से 15, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 3714071) सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-110095 से मुद्रित।

सी आई टी यू के 8वें महाधिवेशन में :

# कामकाजी महिला आयोग में बहस की रिपोर्ट

'कामकाजी महिला' आयोग की बैठक 6 मार्च, 94 को पटना के लाला लाजपत राय हाल में हुई। बैठक प्रातः 10 बजे से सायं 6-45 बजे तक चली। अपरान्ह 1-30 बजे से सायं 3-30 बजे तक भोजनावकाश हुआ। कामरेड एन. प्रसाद राव और वी जे के नायर ने बैठक की कार्यवाई का संचालन किया जबकि रिपोर्टियर का. विमलरणदिवे थीं।

बैठक में 146 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये प्रतिनिधि 14 राज्यों से आए थे। इनमें 53 पुरुष प्रतिनिधि थे। पश्चिम बंगाल तथा केरल के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक थी जबकि इसके पश्चात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के प्रतिनिधियों की संख्या अधिक थी। प्रतिनिधियों को विभिन्न गुटों में बांट कर सामूहिक बहस कराई गई। प्रतिनिधियों ने कामकाजी महिलाओं पर, आयोग का गठन किये जाने का स्वागत किया।

वक्ताओं की सूची बहुत लम्बी थी। ये सूचियां प्रतिनिधि मण्डलों के नेताओं के माध्यम से प्रस्तुत नहीं की गई थीं। पश्चिम बंगाल और केरल के प्रतिनिधि नेताओं से कहा गया कि वे वक्ताओं की सूचियां प्रस्तुत करें। अन्तोगत्वा नामों की इस सूची को 48 से कम करके 28 किया जा सका।

प्रत्येक प्रतिनिधि मण्डल को समय का आबंटन किया गया। उसके वक्ताओं ने उतने समय में ही अपने विचार व्यक्त करने थे। सामान्य रूप से केवल दो को छोड़ कर सभी प्रतिनिधियों ने निर्धारित समय में ही अपने विचार व्यक्त किये। इस प्रकार 28 वक्ताओं ने 240 मिनट लिए।

अध्यक्ष मण्डल द्वारा कार्रवाई की प्राथमिक समीक्षा किए जाने के पश्चात् कामरेड विमल रणदिवे ने दस्तावेज प्रस्तुत किया। उन्होंने दस्तावेज के विभिन्न बिन्दुओं पर डेढ़ घंटे तक प्रकाश डाला।

चाय के अवकाश के पश्चात् दस्तावेज पर बहस आरम्भ हुई। प्रतिनिधियों ने जिन मुख्य बिंदुओं पर बल दिया, वे इस प्रकार है :

1. दस्तावेज में उचित रूप से इंगित किया गया है कि सी आई टी यू समितियों ने विभिन्न स्तरों पर उदासीनता दिखाई है, किन्तु इसके साथ ही यह अनुभव किया गया कि दस्तावेज में राज्यों की नवीनतम गतिविधियों पर प्रकाश नहीं डाला गया है। सचिव की रिपोर्ट में बताया गया है कि कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठकें नियमित रूप से होनी हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा मध्यम वर्गीय कामकाजी महिलाओं के आंदोलनों में प्रगति हुई है।

2. कुछ साथियों का कहना था कि कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति तथा अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के अन्तर्संबंध मात्र औपचारिक ही हैं।

3. कुछ प्रतिनिधियों ने विचार व्यक्त किया कि सी आई टी यू को कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को उठा कर उनका विश्वास प्राप्त करना चाहिये।

4. साथी अनुभव करते थे कि कामकाजी महिलाओं के लिए ट्रेड यूनियन कक्षाओं के आयोजन द्वारा विचार-धारक एव सांगठनिक शिक्षा देने हेतु अधिक से अधिक प्रयास किए जाने चाहियें। पुरुष साथी भी 'महिलाएं' तथा ट्रेड यूनियन' विषय पर आयोजित कक्षाओं में भाग लें।

5. जहां कुछ साथियों ने समितियों में कामकाजी महिलाओं के लिये 10 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण करने की मांग की वहीं एक साथी का कहना था कि इस प्रकार के आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः रूप से प्रतिनिधियों ने 10 प्रतिशत आरक्षण के विचार का समर्थन किया।

6. सी आई टी यू केन्द्र से अनुरोध किया गया कि वह कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति को सुदृढ़ करने की ओर विशेष ध्यान दे ताकि वह राज्यों का मार्गदर्शन कर सके।

7. राज्य / जिला स्तरीय समन्वय समितियों तथा उप समितियों को बनाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम देना चाहिए।

8. कामकाजी महिलाओं के लिए विभिन्न कानूनों

का अध्ययन करने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और इनमें संशोधन की आवश्यकता के दृष्टिगत कुछ सुझाव भी दिये गए।

9. प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि समिति के लिए धन का प्रबंध किया जाए तथा कामकाजी महिलाओं की गतिविधियों हेतु अलग से कोष रखा जाना चाहिए। कुछ साथियों का कहना था कि वे सी आई टी यू के प्रतिनिधि के रूप में बैठकों में भाग नहीं ले पाते क्योंकि सी आई टी यू समितियों द्वारा उन्हें कोष उपलब्ध नहीं कराया जाता। साथियों ने सुझाव दिया कि राज्य समन्वय समितियों को अपनी गतिविधियों के लिये कामकाजी महिलाओं तथा अन्य स्रोतों से कोष इकट्ठा करना चाहिये।

10. काडर को शिक्षित करने, उन्हें आगे बढ़ाने एवं प्रोन्नत करने हेतु एक निश्चित काडर नीति अपनाई जाए।

11. कामकाजी महिलाओं का सम्मेलन समुचित समय के लिए हो और उसमें मुद्दों पर बहस की जाए।

कामरेड विमल रणदिवे ने बहस का समापन करते हुए उसमें उभरे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष मंडल की ओर से कामरेड वी जे के नायर ने बहस में भाग लिया। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि ट्रेड यूनियन मोर्चे पर कामकाजी महिलाओं के मध्य काम को और बढ़ाया जाना चाहिये।

कामरेड एन प्रसाद राव ने सत्र का समापन किया। उन्होंने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को रेखांकित किया गया है और उन पर समुचित निर्णय लिये जाएंगे।

विस्तृत रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है :

## 'कामकाजी महिलाओं' पर आयोग की बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की सूची

| | | |
|---|---|---|
| 1. पश्चिम बंगाल | : | 57 |
| 2. केरल | : | 37 |
| 3. तमिलनाडु | : | 15 |
| 4. आंध्र प्रदेश | : | 11 |
| 5. कर्नाटक | : | 6 |
| 6. उड़ीसा | : | 3 |
| 7. असम | : | 5 |
| 8. बिहार | : | 3 |
| 9. राजस्थान | : | 2 |
| 10. मध्य प्रदेश | : | 2 |
| 11. हिमाचल प्रदेश | : | 2 |
| 12. हरियाणा | : | 2 |
| 13. त्रिपुरा | : | 1 |
| 14. महाराष्ट्र | : | 2 |
| | | 148 |


### फॉर्म IV
(नियम 8 देखिये)

1. प्रकाशन का स्थान : 15 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
2. प्रकाशन की अवधि : मासिक
3. मुद्रक का नाम : विमल रणदिवे
   क्या भारतीय नागरिक हैं : हाँ
   पता : 15 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
4. प्रकाशक का नाम : विमल रणदिवे
   क्या भारतीय नागरिक हैं : हाँ
   पता : 15 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
5. संपादक का नाम : विमल रणदिवे
   क्या भारतीय नागरिक हैं : हाँ
   पता : 15 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो पत्र के मालिक व भागेदार हैं अथवा ऐसे हिस्सेदार हैं जो कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक मालिक हैं। : 15 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

मैं विमल रणदिवे एतद् द्वारा घोषणा करती हूं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी अधिकतम जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है।

ह०/-

दिनांक मार्च 1, 1994 (विमल रणदिवे) प्रकाशक

# जनसंगठनों का राष्ट्रीय मंच

# घोषणा-पत्र

## 5 अप्रैल 1994

जनसंगठनों के राष्ट्रीय मंच में शामिल मजदूरों, खेत-मजदूरों, किसानों, युवाओं, छात्रों, महिलाओं व देश के अन्य मेहनतकश तबकों का यह विशाल जन-समावेश भारत सरकार द्वारा डंकल प्रस्ताव (गैट समझौता) पर 15 अप्रैल 1994 को हस्ताक्षर करने के फैसले की घोर निंदा करता है।

भारत सरकार ने संसद में राष्ट्रीय हितों को तिलांजली देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने के अपने फैसले को शर्मनाक ढंग से जायज ठहराया है। गैट समझौता भारतीय एकाधिकार पूंजी व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गठजोड़ को भारतीय जनता की बेरोकटोक लूट की खुली छूट देता है। अतः यह भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता व आत्मनिर्भरता को ही खतरे में डालता है।

देश भर में जनवादी विचार रखने वाले लोगों द्वारा प्रदर्शनों, रैलियों, सम्मेलनों, जत्थों द्वारा चौतरफा विरोध के बावजूद भारत सरकार जन विरोधी औद्योगिक व आर्थिक नीतियाँ लागू करती जा रही है तथा विश्व बैंक, आई एम एफ व अमेरिकी साम्राज्यवादियों के दबाव में डंकल प्रस्ताव स्वीकार कर रही है। यह जन समावेश दृढ़तापूर्वक मांग करता है कि भारत सरकार डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न करे व नई आर्थिक नीतियों को वापस ले।

भारत सरकार द्वारा संसद पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दिया जाना भारतीय जनता के जनवादी अधिकारों पर घृणित हमला है। यह जन समावेश इसकी घोर निंदा करता है और भारत सरकार को चेतावनी देता है कि इस दमनात्मक कदम के परिणामों के लिए वह स्वयं पूर्णतः जिम्मेदार होगी।

यह जन समावेश भारत सरकार की इस चुनौती को स्वीकार करता है और प्रदर्शनकारियों का आह्वान करता है कि वो संसद के सामने विरोध प्रदर्शनों के अपने जनवादी अधिकार का इस्तेमाल करें।

यह जन समावेश तमाम जनसंगठनों का आह्वान करता है कि डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के दिन 15 अप्रैल 1994 को काला दिवस मनायें तथा विरोध प्रदर्शन, रैलियां, डंकल प्रस्ताव का पुतला जलाने, इत्यादि का देशव्यापी कार्यक्रम लें।

यह जन समावेश देश की जनता से अपील करता है कि वह अपने तमाम भेद-भाव भूलकर सरकार की इन खतरनाक नीतियों के खिलाफ अपने संघर्ष को तेज करें ताकि देश के पैमाने पर विरोध की आवाज को बुलन्द किया जा सके व इन राष्ट्र-विरोधी, जन-विरोधी नीतियों को परास्त किया जा सके।

# कामकाजी महिलाओं सम्बन्धी आयोग की रिपोर्ट

सी आई टी यू के पटना महाधिवेशन में कामकाजी महिलाओं पर बनाए गए आयोग की बैठक 6 मार्च '94 को लाला लाजपत राय हाल में हुई। कामरेड एन प्रसाद राव तथा कामरेड बी जे के नायर अध्यक्ष मण्डल में थे। कामरेड विमल रणदिवे ने रिपोटियर के वर्त्तव्यों का निवेदन किया। बैठक में 146 प्रतिनिधियों ने भाग लिया उनमें से 28 प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किये। यद्यपि बैठक में भाषण देने के इच्छुक 50 प्रतिनिधियों के नामों का प्रस्ताव आया था तथापि आयोग ने निर्धारित समय में बहस समाप्त करने के उद्देश्य से नामों की संख्या घटाई। बहस का कुल समय तीन घंटे था। तब अध्यक्ष मंडल और रिपोटियर की अलग से बैठक हुई। उसमें बहस के मुख्य बिंदुओं पर विचार किया गया। आयोग की बैठक दोबारा होने पर रिपोटियर ने संक्षेप में बहस पर अपने विचार व्यक्त किये। यह निर्णय किया गया कि अध्यक्षमण्डल तथा रिपोटियर की बैठक दोबारा हो, वे रिपोट को अंतिम रूप दें जिसे सी आई टी यू महाधिवेशन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

कामकाजी महिलाओं के लिए आयोग की नियुक्ति का स्वागत किया गया। इससे पुरुष तथा महिलाएं जो दमन विरोधी संघर्ष रूपी सिक्के के दो पहलू हैं, कामकाजी महिलाओं के मुद्दों को केवल उन्हीं पर छोड़ देने की अपेक्षा, सामूहिक रूप से उन पर विचार कर सके हैं। पुरुष तथा महिलाओं दोनों की संख्या लगभग 50-50 प्रतिशत थी। इसी तथ्य से यह बात प्रतिबिम्बित हो जाती है कि दोनों ने मिल कर कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर विचार किया।

प्रतिनिधियों ने उन कठिनाईयों की चर्चा की जिनका सामना यूनियनों तथा सी आई टी यू समितियों को कामकाजी महिलाओं की समितियों के विकसित न हो पाने के कारण करना पड़ रहा है।

आयोग ने कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति तथा उसकी इकाईयों द्वारा विभिन्न स्तरों पर निभाई जा रही भूमिका को रेखांकित किया। यह विचार व्यक्त किया कि दोनों एक-दूसरी की पूरक हैं, ये संगठन से अधिक आंदोलन हैं जो ट्रेड यूनियन आंदोलन के भीतर रहकर काम कर रहा है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एक ऐसा संगठन है जिससे महिलाओं के सामान्य हित प्रतिबिम्बित होते हैं। समिति कामकाजी महिलाओं की समितियों के कामों में भी दिलचस्पी लेती है।

आयोग ने रेखांकित किया कि सी आई टी यू केन्द्र की ओर से प्रस्तुत किए गए 'बहस पत्र' को नए सिरे से तैयार करने तथा अंतिम रूप दिये जाने की आवश्यकता है। इस पत्र में निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप से इंगित होनी चाहियें :

1. कामकाजी महिलाओं के पहले मद्रास सम्मेलन जो 1979 में हुआ था, के पश्चात् इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, तथापि इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इसे बड़ी शक्ति बनाने के लिए प्रगति की गति को और तेज करने की आवश्यकता है। जब तक सी आई टी यू का नेतृत्व इस ओर समुचित ध्यान नहीं देता और कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की गतिविधियों केन्द्र से लेकर स्थानीय स्तर तक, में दिलचस्पी नहीं लेता तब तक वांछित परिवर्तन नहीं हो सकेगा। इस काम को मात्र कामकाजी महिलाओं की सामान्य गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रखना होगा अपितु इसे आंदोलन बनाना होगा।

सी आई टी यू के तत्कालीन अध्यक्ष कामरेड बी टी रणदिवे ने कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर संगठन के रुख को स्पष्ट किया था। आयोग ने उसे रेखांकित करते हुए इस बात पर बल दिया है कि कामकाजी महिलाओं के प्रति विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग रुख अपनाया जाता है, जहां मालिकों का व्यवहार उनके प्रति शत्रुतापूर्ण या शुष्क है, वहीं सरकार भी उनकी समस्याओं के प्रति उदासीन है और ट्रेड यूनियनें भी उनके समाधान की दिशा में उत्साह नहीं दिखा रही हैं। यह स्थिति 14 वर्ष पश्चात् की है। जबसे हमने इन मुद्दों की ओर ध्यान देना शुरू किया है।

संगठन सम्बन्धी रिपोर्ट (1993) में इस रुख को

घोर निर्दयतापूर्ण करार दिया था, 'उत्साह की कमी' उदासीनतापूर्ण इत्यादि शब्दों का प्रयोग मात्र शब्दों के रूप में ही नहीं किया गया था अपितु यह तो अध्यारोपण (अभियोग पत्र) था। ट्रेड यूनियन आंदोलन का कर्तव्य है कि वह सामूहिक रूप से इस चुनौती को स्वीकार करे और कामकाजी महिलाओं के मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप परिवर्तन लाने हेतु काम करे और उत्साहपूर्वक ऐसी गतिविधियों का संचालन करें।

आयोग ने रेखांकित किया कि जब से सी आई टी यू ने इस मुद्दे को उठाया है तब से सम्मेलनों तथा समितियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में प्रगति हुई है। इसमें विशेष रूप से समितियों के कामकाज में और सुधार लाने की आवश्यकता है। जब तक सी आई टी यू की समितियां रोजगारी तथा ऐसे उद्योगों का पता नहीं लगातीं जहां महिलाएं भारी संख्या में कार्यरत हैं तब तक कामकाजी महिलाओं को ट्रेड यूनियनों में लाने या संगठित करने, उनकी कामकाजी तथा जीवन परिस्थितियों में सुधार लाने जैसे प्राथमिक उद्देश्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता और न ही इन मुद्दों पर कोई प्रगति हो सकती है। स्वाभाविक रूप से बीड़ी, नारियल, काजू, अगरबत्ती, हैंडलूम, सिले-सिलाए वस्त्रों के उद्योग इत्यादि परम्परागत उद्योगों में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त पलांटेशन, वाणिकी, आंगनवाड़ी, स्थानीय निकायों, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महिलाएं काम करती हैं। सी आई टी यू इकाईयों को सभी स्तरों पर विशेष रूप से उनकी रोजगार तथा उद्योगों की स्थिति को उद्धरित करना होगा। उन्हें संगठित करने का लक्ष्य निर्धारित अरना होगा। विशेष रूप से उनका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं का पूर्ण विश्वास अर्जित करना होना चाहिये।

कामकाजी महिलाओं के लिए कानूनी व्यवस्थाओं की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हमारे लिए इन कानूनी व्यवस्थाओं की समीक्षा करना, इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन करना, उसके लिए अपनी नीति का निर्धारण करना और उनकी भलाई तथा स्थिति में सुधार हेतु अभियान चलाना आवश्यक है। ऐसा करने से ट्रेड यूनियन आंदोलन को वर्तमान व्यवस्थाओं को कार्यरूप देने के लिए संघर्ष चलाने में भी सहायता मिल सकेगी।

आयोग ने रेखांकित किया कि अभी भी भारी संख्या में ऐसे कारखाने विद्यमान हैं जहां काम करने वाली महिलाओं को प्रसूति लाभ या शिशु पालन गृह जैसी सुविधाएं प्रदान नहीं की जातीं, वहां पर केवल स्थायी महिला श्रमिकों को शिशु-पालन गृह की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जब तक ट्रेड यूनियन आंदोलन इस मुद्दे को गम्भीरता से नहीं लेता और स्थायी या अस्थाई कर्मचारियों एवं महिला या पुरुष श्रमिकों के मध्य हो रहे भेदभावों का पता नहीं लगाता तब तक वह समूचे तौर पर इस भारी भेदभाव या असमानता की समस्या से निपट नहीं सकता। कहीं भी या किसी भी वर्ग में काम करने वाली ट्रेड यूनियनें केवल अपने विनाश के मूल्य पर ही इस समस्या की ओर से अपनी आंखें मूंद सकती हैं।

इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि ट्रेड यूनियन गतिविधियों, सम्मेलनों तथा समितियों में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी में पर्याप्त सुधार लाए जाने की आवश्यकता है। यह भी विशेष रूप से रेखांकित किया गया कि जहां कामकाजी महिलाओं को ट्रेड यूनियन गतिविधियों में भाग लेने तथा सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है वहीं नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वहन करने के मामले में उन्हें हतोत्साहित किया जाता है। एक महिला प्रतिनिधि ने ठीक ही तो कहा है कि जहां संगठन की गतिविधियों तथा प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए उस पर बल दिया जाता है वहीं वार्ताओं, शिष्टमण्डलों में शामिल करने या मंच पर बिठाने के मामले में उसकी उपेक्षा की जाती रही है। उसने इसका प्रतिकार किया और कहा कि यह भी उसका अधिकार है। जब तक सी आई टी यू का नेतृत्व इस प्रश्न पर अपने रुख में सुचेत रूप से कोई परिवर्तन नहीं करता, विशेष व्यवस्थाएं नहीं बनाता, धन का प्रबंध नहीं करता, अन्य आवश्यकताएं पूरी नहीं करता और कामकाजी महिलाओं की गतिविधियों में समुचित समय नहीं लगाता तब तक इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुधार नहीं हो सकता।

अतः आयोग ने सी आई टी यू महाधिवेशन को शोध पत्र पर बहस के अंत में छह: मुद्दों पर अपनी संस्तुतियां देते हुए मांग की थी कि वह अधोलिखित निर्णय ले :

1. जिन उद्योगों में महिलाओं की उल्लेखनीय संख्या कार्यरत है वहां यूनियनों तथा फेडरेशनों में कामकाजी

महिलाओं की उप समितियां बनाई जानी चाहिये और उनकी गतिविधियों के लिए सुविधाजनक स्थितियां उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। यह काम वर्षांत से पूर्व हो जाना चाहिए और सभी स्तरों पर सी आई टी यू समितियों को इस काम का निरीक्षण करना तथा उसकी रिपोर्ट सी आई टी यू जनरल कौंसिल को देनी चाहिये।

2. सी आई टी यू समितियों को अपने-अपने क्षेत्रों में उन उद्योगों का पता लगाना चाहिए जहां महिलाएं भारी संख्या में काम करती हैं। उस क्षेत्र विशेष की समितियों का उत्तरदायित्व हो कि वे वहां यूनियन के गठन, उसकी गतिविधियों तथा सदस्य बनाने के काम को सुनिश्चित बनाएं। इसके लिए सी आई टी यू समितियां सम्बन्धित क्षेत्रों में विभिन्न यूनियनों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करें तथा उन पर इसका उत्तरदायित्व डालें। असंगठित श्रमिकों को संगठित करने के काम का मौखिक समर्थन करने की अपेक्षा यह काम करना ठीक रहेगा। इन मोर्चों की प्रगति की प्रगति की रिपोर्ट समय-समय पर विभिन्न स्तर पर बनी समितियों का अखिल भारतीय स्तर पर जनरल कौंसिल को जब भी उसकी बैठक हो रही हो, दी जाए।

3. सभी समितियां सुनिश्चित बनाएं कि उप-समितियों की तथा जनरल बाड़ी बैठकें ऐसे समय पर की जाएं जो महिला सदस्यों के लिए सुविधाजनक हों। उनके समुचित संग के लिए विशेष प्रबन्ध किए जाएं तथा समितियों में उनकी भागीदारी के लिए धन का प्रबंध किया जाए। महिला सदस्यों अपने तौर पर समितियों तथा उच्च समितियों की बैठकों में भाग लें। इसे सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए और प्रत्येक सी आई टी यू समिति को इसके लिए जवाबदेह माना जाए।

4. सभी सी आई टी यू यूनियनें, फेडरेशनें तथा समितियां अपने इस कर्त्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध होकर प्रयास करें। वे महिला सदस्यों की निर्णय लेने, जन-सभाओं में भाषण देने में ही नहीं अपितु शिष्टमंडलों, वार्ताओं, अध्ययन मंडल इत्यादि अर्थात सभी स्तरों पर उनकी भागीदारी को सुनिश्चित बनाएं।

5. सभी यूनियनों तथा समितयों को आपस में मिलकर यह बात सुनिश्चित बनानी चाहिए कि समितियों, सी आई टी यू समितियों तथा पदाधिकारियों में महिला सदस्यों की संख्या के अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इसे सुनिश्चित बनाने के लिए सभी यूनियनें, फेडरेशनें तथा समितियां अपने-अपने स्तर पर कामकाजी महिलाओं से सम्बन्धित मामलों का निपटारा करें। इस काम को वे अपनी कार्य सूची में शामिल करें। अपितु समय-समय पर महिलाओं को संगठन की सदस्य बनाने, पिछले निर्णयों को कहां तक कार्यरूप दिया गया है, इसकी समीक्षा करें।

आयोग ने इस सम्बन्ध में दो अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दों का पता लगाया है।

(क) सी आई टी यू समिति कामकाजी महिला कार्मकर्ताओं के लिए विशेष रूप से धन की व्यवस्था करे ताकि वे कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति तथा राज्य समितियों द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग ले सकें।

(ख) महिलाओं से सम्बन्धित कानूनी या संविधानिक व्यवस्थाओं में सुधार की समीक्षार्थ कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।

आयोग ने अपने कार्य के सुचारू संचालन के लिए सी आई टी यू के आठवें महाधिवेशन की स्वागत समिति तथा सी आई टी यू सचिव की प्रशंसा की।


**अवश्य पढ़ें**

# कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 2 रुपये
वार्षिक चन्दा : 12 रुपये

**अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :**

सी आई टी यू 15, ताल कटोरा रोड
नई दिल्ली-110001

# आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संयुक्त संघर्ष समिति

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक गत 8 अप्रैल को एटक कार्यालय में हुई। बैठक में निजीकरण के विरोध में तथा आंगनवाड़ी महिलाओं से सम्बन्धित अन्य मुद्दों पर संघर्ष के भावी कार्यक्रम के विषय में विचार हुआ। का. के एल महेन्द्रा (एटक), का. बी के प्रसाद तथा राजकुमार (एन एफ टी यू) का. सुधा उपाध्याय (एच एम एस), का. विमल रणदिवे एवं का. रणजीत बसु (सी आई टी यू) इत्यादि नेताओं ने बैठक में भाग लिया।

बैठक की अध्यक्षता का. महेन्द्रा ने की। संयोजक का. विमल रणदिवे ने खेद व्यक्त किया कि अपरिहार्य कारणों से संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक पहले नहीं बुलाई जा सकी। सभी घटक पांच अप्रैल के कार्यक्रम की तैयारियों के सम्बन्ध में व्यस्त थे। संघर्ष के भावी कार्यक्रम की चर्चा करते हुए उन्होंने आंगनवाड़ी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के विभिन्न पक्षों से सदस्यों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अधिकारियों की ओर से सूचना दी गई हैं कि निजी परियोजनाओं का निजीकरण करके उन्हें गैर सरकारी एजेंसियों तथा अन्य संस्थाओं को सौंप दिया जाएगा। का. विमल रणदिवे ने, इसी संदर्भ में उद्धरित किया कि पिछले दिनों अखिल भारतीय आंगनवाड़ी फेडरेशन के एक शिष्टमंडल ने प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिम्हा राव से भेंट की थी। तब प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया था कि आंगनवाड़ी परियोजनाएं गैर सरकारी संगठनों को सौंप दी जाएंगी। फेडरेशन के नेताओं ने इसका तीव्र विरोध किया था और प्रधानमंत्री जी को 25 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा उनके परिजनों के हस्ताक्षरों से संयुक्त ज्ञापन भेंट किया था। का. सोमनाथ चैटर्जी तथा का. समर मुखर्जी ने शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। उन्होंने यह भी बताया कि निजीकरण सम्बन्धी अभियान के विरोध में 17 जून को एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है। उन्होंने दूसरी ट्रेड यूनियनों से अनुरोध किया कि वे इस आह्वान के लिए सकारात्मक प्रतियुत्तर दें और इसे संयुक्त संघर्ष समिति का आह्वान मानें।

श्रीमती सुधा उपाध्याय ने कहा कि वह इस संबंध में अपने संगठन से विचार विमर्श करेंगी और उसके निर्णय से समिति को सूचित करेंगी। का. बी के प्रसाद ने संघर्ष के भावी कार्यक्रम के रूप में 17 जून को एक दिवसीय हड़ताल करने के आह्वान की सराहना की क्योंकि यह कारंवाई निजीकरण के विरोध में की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को अब मुख्य रूप से राजनीतिक नेताओं द्वारा चलाया जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि संघर्ष के कार्यक्रम में निजीकरण के अतिरिक्त कार्यकर्ताओं की कुछ और मांगो को भी जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन सम्बन्धी मामले दर्ज किये जा चुके हैं। इसके परिणाम शीघ्र निकलने की सम्भावना है। का. महेन्द्रा ने सुझाव दिया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की इस श्रेणी को भी न्यूनतम वेतन सम्बन्धी संघर्ष के कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में एक शिष्टमंडल केन्द्रीय श्रम मंत्री से भेंट करे।

समिति के सदस्यों ने दोनों कार्यक्रमों को स्वीकार कर लिया। यह निर्णय किया गया कि 17 जून की हड़ताल का प्रचार समिति के नाम पर किया जाए। का महेन्द्रा ज्ञापन तैयार करें और अप्रैल के तीसरे सप्ताह में एक शिष्टमंडल श्रम मंत्री से भेंट करे। का. विमल रणदिवे केन्द्रीय श्रम मंत्री के साथ भेंट की तिथि निशिचित करके सभी सदस्यों को उसकी सूचना देंगी। आंगनवाड़ी महिलाओं की अन्य मांगों के सम्बन्ध में एक और शिष्टमंडल श्रीमती बी. राजेश्वरी से भेंट करे। यह शिष्टमंडल अप्रैल के तीसरे सप्ताह मंत्री को मिल सकता है।

बैठक में अन्य विषयों के साथ-साथ एच एम के पी की संयुक्त संघर्ष समिति से शामिल करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया। का. विमल रणदिवे ने बताया कि उन्होंने इस सम्बन्ध में जया जेतली से बात की है और उन्होंने (जेतली) कहा है कि वे समिति में शामिल होने के पक्ष में हैं। सभी यूनियनों ने एच एम के पी के इस विचार का स्वागत किया। 17 जून को सभी परियोजनाओं में हड़ताल करने एवं श्रम मंत्री तथा श्रीमती

[शेष पृष्ठ 10 पर]

# प्रसूति लाभ अधिनियम में संशोधन रद्द करो

केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा गत 16 मार्च को कामकाजी महिलाओं के लिए 'प्रसूति लाभ' विषय पर नई दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सी.आई.टी.यू. सचिव कामरेड विमल रणदिवे ने सम्मेलन में भाषण देते हुए प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन किये जाने सम्बन्धी सरकार के नये अभियान की कटु आलोचना की। उन्होंने प्रसूति लाभ को जारी रखने के लिए जोरदार मांग करते हुए चेतावनी दी कि इस अधिनियम में संशोधन किए जाने से अधिसंख्य महिला श्रमिकों विशेष रूप से उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

कामरेड रणदिवे ने कहा कि नियोजित परिवार की कल्पना करना या आदर्श बनाना तो अच्छा है किन्तु बड़े परिवार के लिए केवल महिलाओं को उत्तरदायी करार देना उचित नहीं है और इस आधार पर उसे प्रसूति लाभ एवं अवकाश से वंचित रखना सर्वथा अनुचित है। उन्होंने इस बात पर दुःख व्यक्त किया कि महिलाओं से सम्बन्धित राष्ट्रीय आयोग जिस पर महिलाओं के हितों की रक्षा करने का दायित्व है, भी आंख मूंद कर सरकार के उक्त प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से उन्हीं मालिकों को लाभ पहुंचेगा जो पहले ही कई बहानों से महिलाओं को काम पर रखने और उन्हें शिशु पालन गृह, प्रसूति लाभ, एवं अवकाश प्रदान करने से कन्नी कतरा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार महिलाओं को उस अपराध के लिए दण्ड दे रही है जो उन्होंने किया ही नहीं है।

कामरेड रणदिवे ने कहा कि हम जनसंख्या नियंत्रण के विरुद्ध नहीं है, किन्तु इसके लिए समाज एवं महिलाओं में आर्थिक राजनीतिक एवं सामाजिक जागरूकता लाना आवश्यक है।

बैठक में उपस्थित सभी श्रमिक संगठनों जिनमें इंटक, एटक, एच एम एस, एन एल ओ भी शामिल हैं, के अतिरिक्त कामरेड सुशीला गोपालन एम पी एवं कामरेड मालिनी भट्टाचार्य एम पी तथा अन्य लोगों ने सरकारी प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया। सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में सरकार से मांग की कि प्रसूति लाभ अधिनियम में में संशोधन न किया जाए, तथा कामकाजी महिलाओं को वर्तमान में मिल रही प्रसूति लाभ जैसी सुविधाओं को न केवल जारी रखा जाए अपितु उन उद्योगों या क्षेत्रों में भी इसे कार्यरूप देने के लिए जोरदार प्रयास किये जाने चाहिएं जहां मालिक इसकी व्यवस्थाओं का पालन नहीं करते। सभी प्रतिनिधियों ने मत व्यक्त किया कि वर्तमान में प्रदत्त प्रसूति लाभ अत्यंत कम हैं जबकि दवाओं इत्यादि के मूल्यों में भारी वृद्धि हो चुकी है। इन्हें तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए।

---

(पृष्ठ 9 का शेष)

राजेश्वरी से शिष्टमंडलों के रूप में भेंट करने सम्बन्धी कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया।

**शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मिला** : अखिल भारतीय आंगनवाड़ी फेडरेशन के एक शिष्टमंडल ने का. सोमनाथ चैटर्जी तथा का. समर मुखर्जी के नेतृत्व में गत दिवस प्रधान मंत्री से भेंट की। सभी राज्यों से आए 25 लाख हस्ताक्षरों से युक्त एक ज्ञापन उन्हें भेंट किया गया जिसमें मांग की गई कि आंगनवाड़ी परियोजनाओं का निजीकरण न किया जाए। इन परियोजनाओं की अनियमितताओं एवं विसंगतियों को दूर किया जाए तथा इन्हें केन्द्र सरकार के नियंत्रण में ही रहने दिया जाए। शिष्टमंडल ने बताया कि जहां कहीं भी इन परियोजनाओं का निजीकरण हुआ है वहीं इसके कार्यकर्ताओं की छंटनी की गई।

प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि वह इस प्रश्न पर फेडरेशन के नेताओं के साथ और विचार विमर्श करेंगे। शिष्टमंडल में का. विमल रणदिवे, का. नीलिमा मोइत्रा, तथा का. प्रमिला पंधे भी शामिल थीं।

# कामकाजी महिलाओं के चतुर्थ सम्मेलन का महत्व

☐ विमल रणदिवे

कामकाजी महिलाओं का चतुर्थ सम्मेलन गत 2 मार्च को गिरिजा पोटी नगर पटना में हुआ। सम्मेलन की कार्रवाई प्रातः 11 बजे से सायं 6.30 बजे तक चली। यह सम्मेलन 3-7 मार्च को बी टी रणदिवे नगर (पटना) में आयोजित सी आई टी यू के आठवें महाधिवेशन का ही भाग था। इस महाधिवेशन में 2200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इससे पूर्व सी आई टी यू सैक्रेटेरिएट ने राज्य समितियों के नाम एक परिपत्र जारी करके उन्हें कुल प्रतिनिधियों के 10% महिला प्रतिनिधियों के कोटे को पूरा करने का अनुरोध किया था। अनेक राज्यों ने कोटे को पूरा किया और उसके अनुरूप उन्होंने महाधिवेशन में भाग लेने के लिए महिला प्रतिनिधियों को भेजा। महाधिवेशन में शामिल हुई महिला प्रतिनिधियों तथा प्रेक्षकों की कुल संख्या 198 थी।

सम्मेलन की कार्रवाई का संचालन करने हेतु पांच सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल का चुनाव किया गया। कामरेड सरिता सिन्हा (बिहार), कामरेड निरुपमा चैटर्जी (पश्चिम बंगाल), कामरेड राजम्मा भास्करन (केरल), कामरेड लखीनाग देव वर्मा (त्रिपुरा) तथा कामरेड परमेश्वरी (तमिलनाडु) को अध्यक्षमण्डल में शामिल किया गया।

तमिलनाडु बिजली बोर्ड यूनियन से सम्बन्धित कार्य समिति की सदस्या कामरेड एस फलोरेंस और स्टील पलांट यूनियन की सक्रिय सदस्या का नीलिमा राय की मृत्यु पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। प्रतिनिधियों ने मौन खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। प्रस्तावक समिति, कार्यवृत्त समिति तथा प्रत्यापक समिति के लिये नामों की घोषणा की गई तथा उनका अनुमोदन किया गया।

सी आई टी यु के अध्यक्ष कामरेड ई० बालानन्दन ने उद्घाटन भाषण दिया। अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय परिस्थितियों पर चर्चा करने के पश्चात् उन्होंने प्रतिनिधियों को नरसिम्हा राव सरकार की आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण देश में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। देश के ऊपर विदेशी ऋण जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक के ऋण भी शामिल हैं, काम बोझ; बेरोजगारी और काम बंदी बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने रोजगार में महिलाओं की वास्तविक स्थिति तथा आधुनिकीकरण के प्रभावों से भी प्रतिनिधियों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि समान काम-समान वेतन के सम्बन्ध में यद्यपि कानून बना हुआ है तथापि अनेक राज्यों में उसे कार्यरूप ही नहीं दिया जा रहा। उन्होंने महिला प्रतिनिधियों से सी आई टी यू में आने वाले सामन्ती भटकावों के विरुद्ध आगे आकर एकजुट संघर्ष करने का अनुरोध किया।

बिहार राज्य जनवादी महिला समिति की महासचिव कामरेड सुधा मित्रा ने अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से महिला प्रतिनिधियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति असमान है। उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में असमानता से जूझना पड़ रहा है। आंगनवाड़ी महिलाओं को बहुत कम वेतन मिलते हैं और उनकी सेवाएं भी नियमित नहीं हैं। सभी महिलाओं को आगे होकर समाज में महिलाओं के शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष छेड़ना चाहिये।

कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की सचिव कामरेड विमल रणदिवे ने प्रतिनिधियों के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने पिछले सम्मेलन के बाद की अवधि, तथा वर्तमान गतिविधियों एवं उपलब्धियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि कामकाजी महिलाओं ने भारी संख्या में सभी अखिल भारतीय कार्रवाईयों जिनमें भारत बंद की कार्रवाई भी शामिल है, में भाग लिया है। इससे महिलाओं में आई राजनीतिक जागरूकता इंगित होती है। जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच के आह्वान पर सभी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं हजारों की संख्या में 19 अगस्त '93 के जेल भरो आंदोलन में शामिल हुई और 9 सितम्बर को उन्होंने सर्वत्र काम ठप्प कर दिया। कामरेड रणदिवे ने इसके

पश्चात् सी आई टी यू की कुछ कमियों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि निर्माण, नारियल, काजू, मछली पालन, जैसे उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं की हमारे अपने ही वर्ग के लोग उपेक्षा करते हैं। उन्होंने प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे इस विषय पर भी अपने विचार व्यक्त करें और अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करें। महिलाओं को उच्च समितियों में प्रोन्नत करने के सम्बन्ध ने रेखांकित किया कि इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। और अनेक महिलाओं को उच्चतर समितियों में शामिल किया गया है।

इसी अवधि में कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति के साथ सम्बद्ध हमारी साथी महिलाओं ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, राष्ट्रीय महिला आयोग, सी आई टी यू तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों में भाग लिया है। सर्वत्र उनके कार्य प्रदर्शन को सराहा गया है।

सचिव ने प्रतिनिधियों का ध्यान महिलाओं की अल्प सदस्यता की ओर दिलाया और कहा कि यह कुल सदस्य संख्या की केवल 12 प्रतिशत है। जब तक प्रतिनिधि या महिला कार्यकर्ता इसे अपना काम मानकर इस ओर ध्यान नहीं देते तब तक महिलाओं की सदस्य संख्या अपरिवर्तित रहेगी। 25 से अधिक वक्ताओं ने अपने-अपने कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय अपने विचार व्यक्त किये। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की महिला प्रतिनिधियों ने साम्प्रदायिकता के बढ़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसके कारण प्रगति एवं विकास का मार्ग ही अवरुद्ध हो गया है। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि हम सभी को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के प्रश्न पर विचार व्यक्त करते हुए अनेक प्रतिनिधियों ने कामकाजी महिलाओं को राजनीतिक एवं ट्रेड यूनियन शिक्षा देने के उद्देश्य से हैदराबाद में कक्षा का आयोजन किये जाने की सराहना की। उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी ऐसी कक्षाओं का आयोजन करने की आवश्यकता पर बल दिया।

अनेक साथियों ने कामरेड नीलिमा मोइत्र द्वारा प्रस्तुत आंगनवाड़ी रिपोर्ट पर अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने बताया कि प्रायः सभी राज्यों में आंगनवाड़ी महिलाओं के मध्य काम बढ़ रहा है तथापि इसके लिए कुशल निदेशन दिये जाने की आवश्यकता है। राज्यों में आंगनवाड़ी सेवाओं का निजीकरण किया जा रहा है। हमें इसके विरोध में कुछ जुझारू कार्रवाईयां करनी होंगी अन्यथा आंगनवाड़ी को निजी एजेंसियों के हाथों में सौंपने की अपनी खेल में सरकार सफल हो जाएगी।

अनेक वक्ताओं ने ट्रेड यूनियनों में सामंती आधिपत्य का मामला उठाया और कहा कि मजदूर आंदोलन की प्रगति के मार्ग में इसके कारण अवरोध उत्पन्न होता है। महिला नेत्रियों को ट्रेड यूनियन के प्रत्येक कार्य में अर्थात् महिलाओं को संगठित करने एवं द्वार सभाएं आयोजित करने इत्यादि में तो शामिल किया जाता है, किन्तु उन्हें समझौता वार्ताओं में शामिल नहीं किया जाता और न ही उन्हें विशिष्ट वक्ताओं के रूप में आमंत्रित किया जाता है।

त्रिपुरा की प्रतिनिधि कामरेड मंजुलिका बसु का भाषण प्रतिनिधियों ने पूरी तनमयता से सुना। त्रिपुरा से 11 प्रतिनिधि पहुंचे थे। इससे ही पता चलता है कि राज्य में वाम मोर्चा सरकार की स्थापना के फलस्वरूप उनमें कितने उत्साह का संचार हुआ है। कामरेड बसु ने प्रतिनिधियों को बताया कि राज्य की पिछली कांग्रेस—टी यू जे एस गठजोड़ सरकार के समय महिलाओं, ट्रेड यूनियनों, मजदूरों एवं किसानों इत्यादि पर किस-किस ढंग से कहर बरपाया गया। जनता ने उस सरकार की घृणित नीतियों को समझा और वाम मोर्चे के पक्ष में मतदान किया।

प्रसूति लाभ अधिनियम में संशोधन पर भी विचार किया गया। इस संशोधन के अन्तर्गत दो बच्चों के पश्चात महिला कर्मचारियों को मिलने वाले प्रसूति लाभों में कटौती की जा रही है।

प्लांटेशन, खान तथा बीड़ी उद्योगों में काम करने वाली प्रतिनिधियों ने बताया कि उद्योगों में कार्यरत महिलाओं को किस प्रकार की भयावह परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। उन्होंने महिलाओं की कामकाजी स्थिति तथा आधुनिकीकरण से उनके रोजगार पर पड़े या पड़ने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा भी की।

तमिलनाडु, केरल तथा बंगाल की प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने किस प्रकार अनेक संघर्ष करके शिशु पालन गृह, होस्टल, शौचालयों इत्यादि की सुविधाएं प्राप्त की हैं। इन संघर्षों में एटक तथा इंटक यूनियनों के साथ सम्बद्ध रखने वाली महिलाओं ने भी भाग लिया था। अनेक साथियों ने यूनियन स्तर पर कामकाजी महिलाओं की उप समितियों का गठन करने की मांग की। उन्होंने कहा अभी तक इन उप समितियों

[शेष पृष्ठ 13 पर]

# दिल्ली में राजघाट तथा अन्य स्थानों पर पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों का नृशंस दमन

दो लाख से अधिक मजदूर, किसान, खेत मजदूर, छात्र, महिलाएं तथा युवक 5 अप्रैल '94 को लाल किला के पीछे एकत्रित हुए। वे शांतिपूर्ण ढंग से राजघाट की ओर कूच कर रहे थे जब पुलिस ने आंसू गैस के गोलों की अंधाधुंध वर्षा की। परिणाम स्वरूप 500 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हो गए, उनमें से अधिकांश की हालत गम्भीर थी जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। घायलों में कुछ संसद सदस्य तथा कुछ महिलाएं भी शामिल भी हैं।

प्रदर्शनकारी भारत सरकार की नयी आर्थिक नीतियों तथा 15 अप्रैल को गाट करार पर हस्ताक्षर करने के उसके निर्णय के प्रति अपना विरोध व्यक्त कर रहे थे। पुलिस ने 500 से अधिक आंसू गैस के गोले छोड़े। कुछ हवाई फायर भी किए गए। राजघाट के समीप पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर डंडे बरसाए गए जिसके कारण अनेक प्रदर्शनकारी घायल हो गए।

इससे पूर्व प्रदर्शनकारी लाल किले के पीछे एकत्रित हुए। वहीं सी आई टी यू के महासचिव कामरेड एम के पंधे ने घोषणापत्र पढ़ा जबकि एटक के महासचिव कामरेड ए बी बर्धन ने कार्रवाई की इस योजना के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मंच के निर्णयों की व्याख्या की।

मध्य प्रदेश एच एम एस के अध्यक्ष श्री यमुना प्रसाद शास्त्री जो नेत्रहीन हैं को पुलिस द्वारा बुरी तरह पीटा तथा गिरफ्तार किया गया।

इतने भारी दमन चक्र के बावजूद लगभग 1000 प्रदर्शनकारी पुलिस को चकमा देकर संसद भवन के समीप पहुंचने में सफल हो गए। वहां पर भी पुलिस द्वारा आंसू गैस और पानी के गोले छोड़े गए तथा डंडा चार्ज किया गया। आई टी ओ चौक के समीप पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया तथा पानी के गोले छोड़े। यहां पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जंतर-मन्तर के निकट महिलाओं ने प्रदर्शन करके गाट समझौते के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया। इंडिया गेट के समीप पहुंचने वाले प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों का पीछा भी किया जो अपने शिविरों में वापस जा रहे थे ताकि उन्हें आतंकित किया जा सके।

जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच ने पुलिस के नृशंस दमन चक्र की तीव्र निंदा करते हुए उन प्रदर्शनकारियों को बधाई दी है जिन्होंने अत्यंत बहादुरी के साथ पुलिस दमन का सामना किया। राष्ट्रीय मंच पुलिस उपायुक्त द्वारा मंच के नेताओं के विरुद्ध लगाए गए थोथे आरोपों को निराधार करार देता है। वास्तविकता तो यह है कि पुलिस ने अपने उन आश्वासनों की अवहेलना की है जो उसने मंच के नेताओं को दिए थे। स्पष्ट है, पुलिस ने केन्द्रीय सरकार के आदेशों पर ही नृशंस कार्रवाई की है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अपने आकाओं को प्रसन्न करना चाहती है और डंकल समझौते के विरोधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना चाहती है।

जन संगठनों का राष्ट्रीय मंच द्वारा नरसिम्हा राव सरकार की नयी आर्थिक नीतियों तथा डंकल प्रस्तावों के विरोध में आंदोलन के अगले चरणबद्ध कार्यक्रम की घोषणा शीघ्र की जाएगी।

---

[ पृष्ठ 12 का शेष]

का गठन नहीं किया गया है। इसलिए आवश्यक हो गया है कि कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए यूनियनों पर उप समितियां बनाने का दबाव डाला जाए।

वक्ताओं में कामरेड लीलादास, कुमदिनी बेहरा, हेमलता, राजम्मा, रमणिका गुप्ता, संध्या शैली, रानी देवी, उर्मिला फ्रांसिस, कृष्णा वेही, प्रमिला पंधे इत्यादि भी शामिल थीं। उन्होंने अपने-अपने भाषणों में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। का. विमल रणदिवे द्वारा बहस का उत्तर देने के पश्चात् रिपोर्ट पारित हो गई।

बाल मजदूरी, प्रौद्योगिकी, असंगठित क्षेत्र के उद्योगों में कामकाजी महिलाएं, आंगनवाड़ी का निजीकरण, प्रसूति लाभ संशोधन पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए।

का· लीला दास ने प्रत्यापक समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

एक 49 सदस्यीय नयी समिति का गठन किया गया। सभी राज्यों के प्रतिनिधि उसमें शामिल किए गए। केन्द्र की ओर से का. सुशीला गोपालन, अहल्या रांगनेकर, तथा विमल रणदिवे को समिति में लिया गया।

बिहार के स्वयंसेवक साथियों ने समन्वय समिति तथा सी आई टी यू के सम्मेलनों को सफल बनाने में भारी सहयोग दिया है। इस तथ्य को हम विशेष रूप से रेखांकित करना चाहेंगे।

# चीनी ट्रेड यूनियन नेत्री द्वारा सी आई टी यू के आठवें महाधिवेशन की महिला प्रतिनिधियों एवं स्वयं सेविकाओं का अभिनंदन

[चीनी प्रतिनिधिमण्डल की नेता कामरेड सियाओ सियाओमी ने सी आई टी यू के आठवें महाधिवेशन की महिला प्रतिनिधियों तथा महिला स्वयं सेविकाओं को सम्बोधित करते हुए अधोलिखित संक्षित वक्तव्य दिया है। ज्ञातव्य है कि कामरेड सियाओमी नयी दिल्ली से वायुयान की उड़ान में विलम्ब होने के कारण 2 मार्च को कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (सी आई टी यू) के सम्मेलन में भाग नहीं ले सकीं थीं।]

साथियो तथा बहिनों, चीन की कामकाजी महिलाओं की ओर से स्वयं को आपके बीच पाकर मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूं। मुझे खेद है कि वायुयान की उड़ान में विलम्ब होने के कारण मैं आपके चतुर्थ सम्मेलन में भाग नहीं ले सकी। मैं कामरेड पंधे तथा कामरेड विमल रणदिवे को हार्दिक धन्यवाद देती हूं जिन्होंने मुझे कामकाजी महिलाओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर मैं सम्मेलन में भाग ले रही सभी महिला प्रतिनिधियों का अभिनंदन करना चाहूंगी। मैं, सर्वप्रथम चीनी महिलाओं की ओर से सम्मेलन में शामिल हुई सभी कामकाजी महिलाओं का अभिवादन करती हूं। चीन और भारत दोनों महान देश हैं। उनकी सभ्यताएं प्राचीन है तथा उनकी सांस्कृतिक विरासत महान है। दोनों देशों की महिलाओं ने अपने-अपने देश के विकास में भारी योगदान डाला है। प्राचीन चीन में महिला का समान सामाजिक दर्जा नहीं था। उसका सम्मान भी नहीं किया जाता था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हमारा देश 1949 में गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ और इसके साथ ही नये चीन का प्रादुर्भाव हुआ था। इसके साथ ही साथ चीनी महिलाओं की मुक्ति हुई। नये चीन की मुक्त महिलाएं समान स्तर पर नीति निर्धारण, शिक्षा तथा सामाजिक पुनर्गठन इत्यादि सभी गतिविधियों में भाग ले रही हैं। वे न केवल पायलट, उद्यमियों, प्रशासकों के रूप में कार्यरत हैं अपितु नीति निर्धारक समितियों में भी सक्रिय योगदान देती हैं। चीन के मजदूर संघ महिलाओं को अधिकाधिक महत्व दे रहे हैं। ट्रेड यूनियनों की अखिल चीनी फेडरेशन की उपाध्यक्ष एक महिला कामरेड है। कामकाजी महिलाओं के लिये एक विशेष आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग कामकाजी महिलाओं के हितों का संरक्षण करता है और उनके कल्याण के कामों में विशेष ध्यान देता है। चीनी मजदूर संघों की कुल सदस्य संख्या 500 लाख है। इनमें से 48 प्रतिशत महिलाएं हैं और 37 प्रतिशत महिलाएं ट्रेड यूनियन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं।

कामकाजी महिलाओं का आयोग और अखिल चीनी ट्रेड यूनियन फेडरेशन की ओर से कामकाजी महिलाओं के लिए कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। उनमें आत्म सम्मान और आत्म विश्वास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से उन्हें नयी-नयी चुनौतियां स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कानूनों तथा संविधानक व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में उनकी समझ को विकसित किया जाता है। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण से सम्बन्धित कानूनों जैसे प्रसूति अवकाश तथा रजोनिवृत्ति अवकाश की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित अधिकारियों के पास इन मामलों को उठाया जाता है।

चीन में प्रसूति लाभ सवेतनिक प्रदान किया जाता है। इसी मध्य माताओं को निशुल्क विशेष आहार उपलब्ध कराया जाता है। बच्चों की देखभाल के लिए शिशु पालन गृह, नर्सरियां तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं के हितों का अच्छे ढंग से संरक्षण किया जाता है। इस प्रकार चीन की सरकार तथा अखिल चीनी ट्रेड यूनियन फेडरेशन की ओर से चीनी महिलाओं की सहायता की जाती है ताकि वह अपने सामाजिक दर्जे में सुधार ला सकें। महिलाओं के प्रति किसी प्रकार का कोई भेदभाव होने की स्थिति में ट्रेड यूनियन संगठनों की सहायता से मामले का निपटारा किया जाता है।

चीन एक ऐसा देश है जहां लोग स्वयं अपने मालिक

हैं और महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त हैं। ट्रेड यूनियनें भी महिलाओं के सामाजिक दर्जे में सुधार लाने में सहायता करती हैं। समान काम के लिए समान वेतन, वहां का यही कानून है। महिलाओं की दक्षता को बढ़ाने हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है।

बहिनों, संयुक्त राष्ट्र अपने चतुर्थ महिला सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1995 के मध्य चीन में कर रहा है। चीनी महिलाएं उस सम्मेलन का प्रबंध करने के कामों में व्यस्त हैं। अखिल चीनी ट्रेड यूनियन फेडरेशन की महिला उपाध्यक्ष को सम्मेलन की आवश्यक तैयारियां करने के लिए विशेष कार्यभार सौंपा गया है। चीनी महिलाएं बड़ी उत्सुकता से उस समय की प्रतीक्षा कर रही हैं जब उन्हें विश्व-भर से आई महिला नेत्रियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा।

बहिनों, हमें विश्वास है कि आने वाले वर्षों में अखिल चीनी ट्रेड यूनियन फेडरेशन तथा सी आई टी यू के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और विकसित होंगे। इसी प्रकार दोनों संगठनों की कामकाजी महिला इकाईयों की मैत्री भी सीमा गुजरने के साथ-साथ विशाल से विशालतर होती चली जाएगी। मैं सी आई टी यू के आठवें महाधिवेशन एवं सी आई टी यू की महिला साथियों की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूं।

बैठक का समापन होने से पूर्व कुछ महिला प्रतिनिधियों ने चीन में कामकाजी महिलाओं, उनकी कामकाजी व जीवन स्थितियों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे। समयाभाव के कारण कामरेड सियाओमी उन सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकी। तथापि उन्होंने संक्षेप में कुछ प्रश्नों के प्रत्युत्तर इस प्रकार दिये हैं :

1. चीनी महिलाओं को 6 महीने की अवधि के लिए प्रसूति अवकाश दिया जाता है। यदि कोई पत्नी पूरी अवधि का अवकाश न लेना चाहे तो उसके पति को उसके प्रसूति अवकाश की शेष अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया जाता है।

2. चीन में महिलाओं के प्रति कोई भेदभाव नहीं होता और समाज में उन्हें समान अधिकार एवं दर्जा प्रदान किया गया है।

3. कुछ स्थानों पर अभी भी सामंती प्रभाव देखे जा सकते हैं। तथापि सरकार तथा ट्रेड यूनियन संगठन जनता को शिक्षित करके इन प्रभावों को समाप्त करने हेतु विशेष प्रयास कर रहे हैं।

4. संयंत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए सेवा निवृत्ति की आयु 50 वर्ष, प्रशासकीय विभागों में काम करने वाली महिलाओं के लिए 55 वर्ष तथा पुरुष कर्मचारियों के लिए 60 वर्ष है।

सी आई टी यू की उपाध्यक्ष का. सुशीला गोपालन संसद सदस्य तथा कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की सचिव का. विमल रणदिवे भी बैठक में उपस्थित थीं। का. सुशीला गोपालन द्वारा धन्यवाद प्रेषण के पश्चात बैठक समाप्त हो गई।

## पंजाब में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

पंजाब में स्त्री कर्मचारी तालमेल समिति की ओर से 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार की नई आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों, बढ़ती चली जा रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा महिलाओं पर अत्याचारों की घटनाओं के विरोध में रोष दिवस मनाया गया। संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। इन संगोष्ठियों में महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों पर परिचर्चा की गई।

एक प्रस्ताव पारित करके पुलिस द्वारा चार महिलाओं के माथे पर 'जेब कतरी' शब्द अंकित कराए जाने की निंदा करते हुए जिम्मेदार पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा उसके दाग मिटाने की मांग की गई। किला रासपुर तथा अन्य स्थानों पर महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं पर आक्रोश व्यक्त करते हुए अपराधियों को कड़ा दंड देने तथा पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने की मांग की गई।

संगोष्ठियों में एक मांग पत्र पारित करके उपायुक्तों को भेजे गए। उनमें मांग की गई कि महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन एवं योग्यतानुसार ग्रेड दिए जाएं; छह महीने का प्रसूति अवकाश स्थाई कर्मचारियों के अतिरिक्त तदर्थ कर्मचारियों को भी दिया जाए; महिला कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सभी जिलों और राज्य में सचिवालय स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ बनाए जाएं; पालियों में काम करने वाली महिलाओं के लिए आवासीय व्यवस्था की जाए; पति-पत्नी दोनों के कर्मचारी होने की स्थिति में उन्हें एक ही स्थान पर या निकटवर्ती स्थानों पर नियुक्त किया जाए; पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा की शर्त समाप्त की जाए; आंगनवाड़ी तथा बालवाड़ी में समुचित आहार की व्यवस्था की जाए; विभागों में प्रत्यक्ष भर्ती बंद करके प्रशिक्षित महिला कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाए इत्यादि।

(पृष्ठ 2 का शेष)

जन-संगठनों के बैनर उठा रखे थे। जन-संगठनों के नेता उनका नेतृत्व कर रहे थे। ज्यों ही प्रदर्शनकारी बाड़ के निकट पहुंचे और उन्होंने अवरोधक को तोड़ना शुरू किया त्यों ही उन पर 750 से अधिक आंसू गैस के गोलों की बौछार कर दी गयी।

जन प्रतिरोध इतना तीव्र था कि पुलिस ने अपना दबाव बनाए रखने के लिए लोगों पर पानी के गोले तक छोड़े और डंडा चार्ज तो किया ही। पुलिस के भीषण डंडा चार्ज और आंसू गैस के गोलों से अनेक प्रदर्शनकारी घायल हो गए जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाना पड़ा।

उल्लेखनीय बात तो यह है कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की समाधि राजघाट में शरण लेने वाले लोगों को भी पुलिस ने नहीं बख्शा और वहां हिंसा के क्रूर तांडव किया गया। बापू की समाधि के निकट घायल प्रदर्शनकारियों के लहू की अनेक धाराएं बहने लगीं।

प्रदर्शन को रोकने हेतु पुलिस के क्रूरतम ढंग या उनके आकाओं के आदेश कुछ भी क्यों न रहे हों, तथापि 1000 से अधिक प्रदर्शनकारी सभी प्रकार की विघ्न-बाधाओं को पार करते हुए दोपहर 12.00 बजे संसद भवन के द्वार तक पहुंचने में सफल हो ही गए। और पुलिस को इसकी खबर तक नहीं थी। पंजाब तथा हरियाणा से आई महिलाएं भी उन प्रदर्शनकारियों में शामिल थीं। किसी न किसी प्रकार पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वहां अवरोध खड़ा किया और अपनी 'वीरता' का परिचय देते हुए प्रदर्शनकारियों पर भीषण डंडाचार्ज किया। यह स्वयं सेवकों और पुलिस में युद्ध ही तो था। यह युद्ध उस समय तक जारी रहा जब तक प्रदर्शनकारियों पर काबू नहीं पाया गया। आई टी ओ ओर से से भी हजारों स्वयं सेवकों ने कूच किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

सरकार का आदेश था कि प्रदर्शन जुलूस को राजघाट से बोट क्लब की ओर न जाने दिया जाए। निःसंदेह सरकार को इसमें असफलता ही मिली है। हमारे यहां लोकतंत्र है, जनता को बैठकें करने और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, किन्तु नरसिम्हा राव सरकार अपना दमन चक्र चला कर क्या सिद्ध करना चाहती है। सरकार अपनी आर्थिक नीतियों का समर्पण न करे, आत्मनिर्भरता की नीति न छोड़ी जाए इत्यादि नारों की गूंज 5 अप्रैल को दिल्ली भर में सुनाई देती रही।

नरसिम्हा राव सरकार को समझ लेना चाहिए कि दमन चक्रों, डंडा चार्ज, आंसू गैस तथा पानी के गोले जन साधारण के साहस एवं संकल्प को हिला नहीं सकते। वे कांग्रेस सरकार के अत्याचारों के आगे कदापि नहीं झुकेंगे। उन्होंने 15 अप्रैल को 'काला दिन के रूप में मनाने का निर्णय किया है, राज्यों में प्रदर्शन किये जाएंगे। उनकी मांग है "गाट करार पर हस्ताक्षर न करो।" प्रणव मुखर्जी तथा उसके लोग 'गाट' की प्रशंसा में जितना चाहे चिल्लाएं किन्तु वे मजदूरों, किसानों, महिलाओं एवं पुरुषों को मूर्ख नहीं बना सकते। उन्होंने अपनी आजीविका के ऊपर होने वाले आक्रमणों के विरुद्ध तथा आत्मनिर्भरता की रक्षा हेतु संघर्ष करने का संकल्प किया है। 5 अप्रैल को दिल्ली में एकत्रित होने वाले लाखों लोगों को हमारा लाल सलाम! हम उनका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं।

Book Post